

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
पुरुषोत्तम बनाम हस्सहाय

तारीख हुक्म

1001
2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

13/04/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/04/2026 को पेश हो |

29/04/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि भूमि ग्राम बाढ फतेहपुरा तहसील व जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 10/19 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 2 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 9 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 82 बीघा 6 बिस्वा में श्रवण दासचन्द जगदीश, रामस्वरूप पिसरान भोलू उर्फ भोल्या हिस्सा 1/4 दर्ज करते हुये वाद प्रस्तुत किया एवं अंकित किया कि जगदीश पुत्र भोल्या उर्फ भोलू 1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार है जो प्रतिवादी संख्या 1 की स्व-अर्जित सम्पत्ति न होकर पैतृक सम्पत्ति हैं। वादी जगदीश पुत्र भोल्या का दत्तक पुत्र हैं। भोल्या पुत्र बेणा की मृत्यु के पश्चात छोड़ी गई सम्पत्ति वादी की पैतृक भूमि हैं, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण गलत दर्ज कर दी। चूँकि वादी के दत्तक पिता के नाम भूमि वादी के नाबालिग होने के कारण अकेले के नाम दर्ज व अंकित की गई। जिसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्णतः विधि विधान के विरुद्ध गलत इन्द्राज का लाभ उठाते हुये दिनांक 7/2/2008 को प्रतिवादी संख्या 2 रामा देवी को भूमि का विक्रय हस्तान्तरण कर दिया। जबकि उपको ऐसा कोई अधिकार नहीं हैं। वादअधीन भूमि में वादी का हिस्सा 1/16 में 1/2 का खातेदार काश्तकार हैं। ऐसे में वादी ने वादअधीन भूमि में हिस्सा 1/32 का खातेदार काश्तकार घोषित कराने, प्रतिवादी संख्या 2 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र को विधि विरुद्ध व प्रभावशून्य करने, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 12 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया, जिस पर वादी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
पुरुषोत्तम बनाम हरसहोय

तारीख हुकम

1001
2023

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10/10/2023 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बार्ड बाई लॉ एवं पोषणीय नही होना धारित करते हुये वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोका किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर वादी के वाद को खारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत जाहिर होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10/10/2023 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 29/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर